तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** सरकार बनाम **अनिल** धारा 185 एमवी एक्ट इस्तगासा संख्या 103/2026 **पुलिस थाना घाटोल** **नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या 484/2026**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 05.06.2026

थानाधिकारी, पुलिस थाना **घाटोल** जिला बांसवाडा की ओर से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी यह इस्तगासा अभियुक्त **अनिल पुत्र शंकरलाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी घाटोल, पुलिस थाना घाटोल, जिला बांसवाडा राज.** के विरूद्व **धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम** में जरीये सहायक अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत हुआ। कार्यालय रिपोर्ट व इस्तगासे/आरोप पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त ने जप्तशुदा वाहन की असल आर0सी पेश की जो बाद अवलोकन पुनः लौटाये गये। अभियुक्त पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप है। इस्तगासे के अवलोकन से अभियुक्त ने शराब का सेवन किया हुआ था। अतः पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा **185 मोटरवाहन अधिनियम** में प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजुद होने से उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। इस्तगासा रजिस्टर से फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी हो।

राज्य की और से सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त की और से अधिवक्ता **श्री भूपेन्द्रसिंह चन्द्रावत** ने वकालतनामा पेश किया। आरोप–पत्र/इस्तगासे की नकल अभियुक्त को निः शुल्क दिलाई गई। अभियुक्त को **धारा 185 मोटरवाहन अधिनियम** के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर सही होना स्वीकार किया और अभियुक्त की ओर से जरिये अधिव. क्ता लोक अदालत की भावना से पृथक से स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त की स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 185 मोटरवाहन अधि ानियम के तहत दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।</u> विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को जूर्माने से दंडित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का आदतन अपराधी न होने, अभियुक्त का प्रथम अपराध होने एवं अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रेकार्ड न होने तथा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से स्वेच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति करने के आधार पर अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की। उभय पक्षों के

तर्को पर मनन किया, इस्तगासे/आरोप पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्वि बाबत कोई अभिलेख नहीं है। अभियुक्त की ओर से लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत हा. ता है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त **अनिल पुत्र शंकरलाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी घ ाटोल, पुलिस थाना घाटोल, जिला बांसवाडा राज.** को आरोपित अपराध अर्न्तगत **धारा 185 मोटरवाहन अधिनियम** में स्वैच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी पाये जाने पर उसे तुरंत कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 का लाभ दिया जाकर बाद सम्यक भर्त्सना के रिहा किया जाता है। साथ ही परीविक्षा अधि ानियम की धारा 5 के तहत उक्त अभियुक्त पर **2000/—अक्षरे दो हजार रूपये मात्र** अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।

अभियुक्त एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत करे कि उसे पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नही हुआ है।

अभियुक्त को धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त की उक्त अपराध में दोषसिद्वि पर किसी भी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित नही होगा तथा उसके करियर पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। **प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अभियुक्त/ वास्तविक वाहन स्वामी को पुर्व में सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है।**

अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र एवं अभियोजन व्यय की राशि रूपये **2000/—अक्षरे दो हजार रूपये** जरीये **ई चालान नंबर जीआरएन 124643317 दिनांक 05.06.2026** से जमा कराकर चालान की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली रहे।

प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो जाने से मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटोल, जिला बांसवाडा